संख्या 833 /XI/04/56(53)/2003

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी ।

ग्राम्य विकास अनुभाग: देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2004

**बिषय:-वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता/ अंशदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर के पत्र संख्या 408 दिनांक 25.08.2004, पत्र संख्या 409 दिनांक 25.8.2004 एवं पत्र संख्या 492 दिनांक 10.9.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर को स्थापना व्यय हेतु एक मुश्त अनुदान की धनराशि रु0 50,51,000.00 ( रुपये पचास लाख इक्यावन हजार मात्र ) भारत सरकार से उक्त मद के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त संस्थान के स्थापना मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंश को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व अधिशासी निदेशक,उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर का होगा ।

3- उक्त धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण /वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा । धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर को हस्तान्तरित की जायेगी ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय- समय पर भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/ गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भारत सरकार / राज्य सरकार / को उपलब्ध कराया जाय । साथ ही योजना का लेखा परीक्षण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार यथासमय करवाकर लेखा परीक्षण रिपोर्ट भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी ।

5- कार्य करते समय /समाग्री क्रय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुलस/ डी.जी. एस. एण्ड डी. अथवा टैन्टर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

क्रमश.....2.....पर

6. भारत सरकार द्वारा संस्थान को दिये जाने वाले अंश की धनराशि अवमुक्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंश के रुप में किया जायेगा ।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय- व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या 19 के लेखाशीर्षक-4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत-00-102-सामुदायिक विकास -01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-उत्तरांचल में ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना -20-सहायक अनुदान / अंशदान /राज सहायकता की सुसंगत इंकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

8- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 796 / वित्त अनुभाग-2/2003 दिनांक 14 अक्टूबर,,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0 एस0 जंगपांगी )
अपर सचिव

संख्याः 833 /XI /04/56(53)/2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तरांचलसहारनपुर रोड माजरा, देहरादून
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी , पौड़ी , पौड़ी गढ़वाल ।
3- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।
4- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/ पौड़ी गढ़वाल ।
5- अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्थान ,राजेन्द्र नगर हैदराबाद ।
7 उप सचिव, ग्रामीण विकास ,मंत्रालय , भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
8- अनु सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक न0 11, छटा तल सी0जी0ओ0 कम्पलैक्स लोदी रोड़, नई दिल्ली ।
9- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23- लक्ष्मी रोड देहरादून ।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
11- निजी सचिव- मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
12- वित्त अनुभाग- दो, उत्तरांचल शासन
13- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
14- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

( पी0 एस0 जंगपांगी )
अपर सचिव ।